अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

(17)

अभिलेख सं0 90 (11) / 2016–17

वाद का प्रकार :– बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

14/10/16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 12.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन– सह – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या– 3 – खा0म0निति – 119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या – 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र0अं0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा विशुनपुर थाना नं0 20 खाता नं0 39 प्लॉट नं0 8 रकवा 0.05 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 1 के पृष्ट संख्या 90 पर जमाबंदी रैयत अमरेन्द्र नाथ पाठक के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलख दिनांक 28/10/16 को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी,
तोपचाँची

Scanned with CamScanner

अभिलेख संख्या 95(II)/2016 - 17

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभियुक्ति
28/10/16	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला के क्रम में पाया गया कि स्थल पर संदिग्ध जमाबंदी रैयत का प्लोट खाली है। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि भूमि झारखण्ड सरकार के खाते कि भूमि है एवं BPHT के तहत जमाबंदी कायम की गई है। झारखण्ड सरकार के भूमि पर BPHT के तहत बंदोबस्ती देना उचित प्रतीत नही होता है। अत: जमाबंदी को संदेहास्पद जमाबंदी का मामला मानते हुए जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद को भेजे। 28/10 अंचल अधिकारी तोपचाँची।	

Scanned with CamScanner